



कॉनकोर व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी निगरानी तंत्र (संशोधित)

इस पॉलिसी को "कॉनकोर व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी / निगरानी तंत्र" कहा जाएगा। यह पॉलिसी दिनांक 30.07.2014 से प्रभावी और समय-समय पर संशोधित होगी।

1 प्रस्तावना

1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और प्रचलित नियमों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और ऐसे वर्ग या वर्गों से संबंधित उनके निदेशकों और कर्मचारियों को उनके वास्तविक चिंताओं या शिकायतों को रिपोर्ट करने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाएगी। शेयर बाजार एवं सूचीबद्ध कंपनियों के बीच समझौतों की धारा 49 के अनुसार अन्य बातों के साथ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता 'सीटी ब्लोअर पॉलिसी' नामक एक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए है। इसमें निदेशक और कर्मचारी धारा 49 के अनुसार अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण या नैतिकता नीति की कंपनी की संहिता के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को दर्ज करा सकते हैं। सूचीबद्ध समझौते की धारा 49 के अनुसार कंपनी को ऐसे व्हिसिल ब्लोअर तंत्र को स्थापित करना है प्रत्येक कर्मचारी सहित स्टॉकहोल्डर तथा उनके प्रतिनिधि कंपनी के गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्यों के बारे में अपनी चिंताएं खुलकर बता सकें।

1.2 कंपनी अधिनियम की धारा 177 के अनुसरण में लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 के साथ पठित कॉनकोर व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी / निगरानी तंत्र की स्थापना कर्मचारियों के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में प्रदान करना है जो उनकी चिंताओं को व्यक्त कर सके तथा किसी भी अनैतिक और अनुचित व्यवहार या अन्य गलत तरीके आचरण का निरीक्षण मामले में लेखा परीक्षा और आचार समिति के निरीक्षण में विश्वास के साथ पहुंच हो। जुल्म से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने और प्रबंधकीय कर्मियों से प्रतिबंधित करने के लिए ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने हेतु नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉनकोर, नैतिक नैतिक और कानूनी व्यापार आचरण के उच्चतम संभव मानक और

संचार खोलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रयास करने के लिए जारी रहें।

- 1.3 हालांकि, कम काम करने या व्हिसिल ब्लोअर द्वारा दुराचार के कारण , और जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए किसी भी प्रकटीकरण से स्वतंत्र है , के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को , इस नीति के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा।
- 1.4 पूर्ण स्पष्टता के लिए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी एक समान नहीं है, और ना ही निगरानी तंत्र को किसी भी तरीके से कमजोर करने के लिए। इस नीति के तहत एक कर्मचारी द्वारा किए गए प्रकटीकरण अगर सतर्कता दृष्टिकोण से है तो उन्हें पमौजूदा पद्धति के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कॉन्कोर पास भेजा जाएगा।
- 1.5 इस नीति के कदाचार और घटनाओं / संदेह हैं जगह , दुरुपयोग या अधिकारों का गलत प्रयोग प्राधिकारी, धोखाधड़ी के दुरुपयोग या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी के नियमों, जोड़तोड़ का उल्लंघन के मामले को लिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा , पैसों की हेराफेरी , और अन्य गतिविधियां जिनसे लापरवाही के कारण कंपनी के हित प्रभावित हो ते हैं वे औपचारिक रूप से व्हिसिल ब्लोअर द्वारा के अंतर्गत आते हैं।

2. परिभाषाएं

2.1 "कॉन्कोर" का अर्थ भारत कंटेनर निगम लिमिटेड से है।

2.2 "ऑडिट और आचार समिति" अर्थ है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और शेयर बाजार के साथ सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 के साथ पठित कॉन्कोर के निदेशक मंडल द्वारा गठित ऑडिट और बोर्ड की आचार समिति से है।

2.3 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ लेखा परीक्षा और आचार समिति से है , जो व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी / निगरानी तंत्र और मैं समिति के सदस्यों में से किसी भी मामले में देखरेख करेगी तथा , वे खुद को और दूसरों के हित सुरक्षित रखेंगे।

2.4 'कर्मचारी' एक कर्मचारी का मतलब कॉनकोर अनुशासन और अपील नियम और कंपनी के निदेशक।

2.5 "अनुचित गतिविधि" का अर्थ है अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचरण या नैतिकता नीति पर सामान्य दिशा निर्देशों का कॉनकोर के किसी भी कर्मचारी द्वारा उल्लंघन।

2.6 "जांचकर्ताओं" का अर्थ उन व्यक्तियों से है जो सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत नियुक्त, सलाह या एक संरक्षित प्रकटीकरण में लेखा परीक्षकों सहित जांच का आयोजन के संबंध में है।

2.7 "संरक्षित प्रकटीकरण" का अर्थ यह दर्शाता है कि विश्वास में किए गए किसी भी संचार के खुलासे या जानकारी जो कि सबूत या "अनुचित गतिविधि" के रूप में माना जाएं।

2.8 "सेवा नियम" का अर्थ कॉनकोर अनुशासन और अपील नियम

2.9 विषय का अर्थ - एक संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या सबूत जांच के दौरान एकत्र हुए जिसे खिलाफ या संबंध में अधिकारी / कर्मचारी से है।

2.10 व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का अर्थ " एक कर्मचारी का इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण बनाने से है।

3. पात्रता

कॉनकोर के सभी कर्मचारियों को "संरक्षित प्रकटीकरण" बनाने के लिए पात्र हैं।

4. दिशानिर्देश के सिद्धांतों

4.1 संरक्षित प्रकटीकरण एक समयबद्ध तरीके पर काम किया जाएगा।

4.2 व्हिसल ब्लोअर पॉलिसीको पूर्ण गोपनीय बनाए रखा जाएगा।

4.3 व्हिसल ब्लोअर और / या व्यक्ति (यों) संरक्षित प्रकटीकरण प्रसंस्करण पीडित के अधीन नहीं किया जाएगा।

4.4 संरक्षित प्रकटीकरण के साक्ष्य को छुपाया नहीं जाएगा और छुपाने या सबूत नष्ट करने के प्रयास के मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5 संरक्षित 'विषय' के प्रकटीकरण, के खिलाफ या जिसे एक संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है के संबंध में कर्मचारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

4.6 किसी भी अनुचित गतिविधि या अभ्यास में विहिसिल ब्लोअरजल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए। हालांकि वे प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नहीं कर रहे हैं, वे चिंता के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए।

4.7 विहिसिल ब्लोअर जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सहयोग करेगा।

5. विहिसिल ब्लोअर - भूमिका और सुरक्षा

भूमिका:

5.1 विहिसिल ब्लोअर की भूमिका विश्वसनीय जानकारी के साथ एक रिपोर्टिंग पार्टी की है।

5.2 विहिसिल ब्लोअर को स्वयं या अपने दम पर किसी भी जांच करने या उसका संचालन करने की आवश्यकता नहीं है।

5.3 विहिसिल ब्लोअर जांच के साथ जुड़ा हो सकता है यदि ऐसा है तो मामले में उसे भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5.4 संरक्षित प्रकटीकरण उचित रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटा या जाएगा।

5.5 विहिसिल ब्लोअर कानूनी या अन्य कारणों से अधिभावी के लिए छोड़कर उसके प्रकटीकरण के स्वभाव के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार होगा।

5.6 विहिसिल ब्लोअर संरक्षित प्रकटीकरण की रिपोर्ट लेखा परीक्षा एवं आचार समिति या लेखा परीक्षा एवं आचार समिति द्वारा नामित किसी अन्य

सदस्य को करेगा। हालांकि, उचित या असाधारण मामलों में वह इस मामले की रिपोर्ट लेखा परीक्षा एवं आचार समिति के अध्यक्ष को कर सकता है।

सुरक्षा:

5.7 सचचेस व्हिसल ब्लोअर उत्पीड़न / अनुचित व्यवहार / जुल्म से हर तरह से सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि, प्रेरित और तुच्छ खुलासे को हतोत्साहित किया जाएगा।

5.8 व्हिसल ब्लोअर द्वारा किए गए संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना के आधार पर कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी की नीति के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार या किसी अन्य अनुचित व्यवहार की कंपनी निंदा करती है। व्हिसल ब्लोअर को स्थानांतरण, पदावनति, / पदोन्नति का इनकार सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, , भेदभाव, उत्पीड़न के किसी भी प्रकार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या निलंबन/ प्रतिशोध, की धमकी / किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सीटी ब्लोअर को अपने कार्यों करने में होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कठिनाइयों के कम करने के कदम कंपनी उठाएगी। सीटी ब्लोअर आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य देने तथा प्रक्रिया के लिए सलाह के लिए आवश्यक व्यवस्था सीटी ब्लोअर के लिए किया जाएगा इस संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी उसके हक के अनुसार की जाएगी।

5.9 ऊपर खंड 5.8 में हुए किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को की जा सकती है जो जांच करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

5.10 कोई भी अन्य कर्मचारी जो सीटी ब्लोअर की सहायता कर रहा है, उसे भी उसी हद तक संरक्षित किया जाएगा।

6. प्रक्रिया - संरक्षित प्रकटीकरण एवं हैंडलिंग की अनिवार्यता

6.1 संरक्षित प्रकटीकरण / शिकायत करने वाले कर्मचारी विवरण अर्थात् कर्मचारी का नाम/संख्या और जगह संलग्न किया जाना चाहिए तथा इसे बंद लिफाफे में सील करके डाला जाए। सील बंद लिफाफे को सक्षम प्राधिकारी के पते पर **संरक्षित प्रकटीकरण** के अंतर्गत मार्क करके भेजा जाए। (इस नियम के अनुसार यदि लिफाफे को सील/ संरक्षित नहीं किया गया तो

यह व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा दिया जाना संभव नहीं है।) कॉन्कोर के निगमित कार्यालय में ताला लगा एक लैटर बॉक्स होगा जिसकी चाबी सक्षम अधिकारी/सीएमडी द्वारा नामित अधिकारी के पास रहेगी। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत शिकायत मिलने पर इस बॉक्स में डाली जाएगी तथा निर्धारित व्यक्ति द्वारा ही खोली जाएगी।

6. 2 बेनामी या छद्म नाम से संरक्षित प्रकटीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. 3 संरक्षित प्रकटीकरण टाइप किया हुआ या हस्त लिखित सुपाठ्य अंग्रेजी या हिंदी होना चाहिए। शिकायत कर्ता के क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकता है। उठाए गए मुद्दे में अनुचित गतिविधि को स्पष्टता प्रदान करना चाहिए। रिपोर्टिंग तथ्यात्मक हो तथा और प्रकृति में सट्टा नहीं होना चाहिए। यह प्रारंभिक समीक्षा और उचित मूल्यांकन हेतु अनुमति देने के लिए जितना संभव हो उतना प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए।

6. 4 कोई भी अनुचित गतिविधि है जो जांच या सरकारी कर्मचारियों को जांच अधिनियम, 1850 या जांच अधिनियम 1952 के तहत जांच आयोग के आदेश की विषय वस्तु है, इस नीति के दायरे में नहीं आएगा।

6. 5 संरक्षित प्रकटीकरण को भेजने हेतु सक्षम प्राधिकारी का संपर्क विवरण:

लेखा परीक्षा और आचार समिति / अध्यक्ष लेखा परीक्षा एवं आचार

समिति *

मार्फत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
कॉन्कोर भवन, सी -3, मथुरा रोड,
अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली 110,076

* केवल उचित या असाधारण मामलों में अध्यक्ष लेखा परीक्षा एवं आचार समिति को।

6. 6 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित गोपनीय अनुभाग प्राप्त संरक्षित प्रकटीकरणों का एक रिकार्ड रखेगा। प्राप्त किया। गोपनीय अनुभाग

संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के बारे में तीन दिनों के भीतर लेखा परीक्षा एवं आचार समिति को सूचित करेगा। इसके तत्काल बाद अगली बैठक में बंद हालत में आचार समिति को प्रस्तुत करेगा।

6. 7 जहां सीएमडी विशेष आमंत्रित हो लेखा परीक्षा और आचार समिति जांच को पूरा करेगी यदि आगे की जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है संरक्षित खुलासे को गोपनीय अनुभाग के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ परामर्श करके नियुक्त अन्वेषक (ओं) को भेज दिया

7। जांच और जांचकर्ताओं की भूमिका:

जाँच पड़ताल

7.1 लेखा परीक्षा और आचार समिति प्रारंभिक समीक्षा के बाद संतुष्ट हो जाती है तो जांच शुरू की जाएगी:

(ए) अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण का आरोप , और

(ख) आरोप की जानकारी और पर्याप्त विशिष्ट या जांच के मामलों में जहां आरोप में विशेष जानकारी के द्वारा समर्थित नहीं है , यह महसूस किया कि संबंधित मामले की जांच के लायक है।

7.2 लेखा परीक्षा और आचार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जांच का संचालन स्वयं किया जाएगा । इसे एक आरोप के रूप में नहीं लगाया जा सकता। एक तटस्थ तथ्य खोजने की प्रक्रिया की जा रही है।

7.3 विषय (एस) और व्हीसिल ब्लो अर कीप्रहचान गोपनीय रखी जाएगी।

7.4 एक औपचारिक जांच के प्रारंभ होने पर व्ही सिल ब्लो अर को सामान्य तौर पर आरोप के बारे में सूचित किया जाएगा और जांच के दौरान उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अवसर दिए जाएंगे

7.5 व्हीरसिल ब्लोंअर का यह कर्तव्य होगा कि वो जांचकर्ताओं को सहयोग इस सीमा तक करें कि उपलब्ध लागू कानून के अनुसार उसका संरक्षण हो तथा उस पर आत्मउदोष के लिए समझोता ना करना

7.6 व्हिसल ब्लोगअक्की यह जिम्मे वारी होगी कि वो जांच में साक्ष्यों के साथ के साथ छेड़छाड़ अथवा उन्हें नष्ट ना करें और गवाहों को धमकी से प्रभावित नहीं करे ।

7.7 सही कारण होने पर ही व्हिसल ब्लो अर को जांच के परिणाम बताएं जाएंगे। आरोपो के सही होने के साक्ष्यों के बिना कोई भी आरोप व्हिसल ब्लो अर द्वारा नहीं लगाया

7.8 संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सामान्य रूप से पूरा किया जाएगा या अन्वेषक (s) या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विस्तारित अवधि तक जांच पूरी करने की दी गई अनुमति को दर्ज किया जाएं ।

7.9 व्हिसल ब्लो अरको यह अधिकार है कि उसे जांच के परिणाम के बारे में सूचित किया जाएं।

अन्वेषक (ओं) की भूमिका

7.10 अन्वेषक (s) के लिए यह जरूरी है कि वह तथ्य खोजने और विश्लेषण की दिशा में प्रक्रिया का संचालन करें। अन्वेषक (s) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अधिकारों और पाठ्यक्रम के अनुसार जांच के दायरे के भीतर कार्य करेगा सक्षम प्राधिकारी को उसकी / अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7.11 सभी जांचकर्ता अपनी भूमिका का प्रदर्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करेंगे। जांचकर्ता का यह कर्तव्य है कि वे निष्पक्षतापूर्ण , नैतिक व्यवहार और पेशेवर मानकों का पालन करें। । किसी भी अपराध की धारणा के बिना तटस्थ तथ्य खोजने की प्रक्रिया के रूप में जांच की जाएगी। निष्कर्ष के लिए एक लिखित रिपोर्ट आवश्यक होगी।

8. कार्रवाई

8.1 यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जांच में खुलासा अनुचित गतिविधि का है जोकि एक कानूनन अपराध एवं दंडनीय है तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने मुख्य सतर्कता अधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु निर्देश देंगे

8.2 उपर वर्णित संरक्षित प्रकटीकरण की अन्याय अनुचित गतिविधियों को रोकने हेतु अन्याय सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में उल्लेख यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो इसे किया जाएगा।

8.3 अगर जांच में खुलासा यह होता है कि संरक्षित प्रकटीकरण पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो तो रिपोर्ट को गोपनीय अनुभाग में फाइल किया जाएगा।

9. रिपोर्टिंग और समीक्षा

सक्षम प्राधिकारी प्राप्त संरक्षित खुलासे और की गई जांच पर की त्रैमासिक रिपोर्ट की जांच और की गई कार्रवाई की सूचना देते हुए समीक्षा के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेगा

10. अधिसूचना

सभी कार्यपालक निदेशक / मुख्यस महाप्रबंधक क्षेत्रीय महाप्रबंधक / विभागीय प्रमुख आदि अपने क्षेत्र / विभाग के कर्मचारियों को इस नीति के आवश्यकता ओर महत्व के बारे में सूचित करेंगे। व्हिसलब्लोअर पॉलिसी प्रमुखता से कंपनी के सभी सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। संशोधन सहित यह नीति कंपनी की वेब साइट [www Concorindia.com](http://www.Concorindia.com) पर उपलब्ध करायी जाएगी

1।. वार्षिक प्रतिज्ञान

प्रति वर्ष कंपनी यह घोषणा करेगी कि उसने लेखा परीक्षा और आचार समिति से मिलने के लिए किसी भी कर्मचारी को मना नहीं किया और प्रतिकूल कार्रवाई से व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है । कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रतिज्ञान निगमित प्रशासन की रिपोर्ट का एक हिस्सा होगा।

12. संशोधन

यह नीति लेखा परीक्षा और आचार समिति द्वारा किसी भी समय की जा सकती है बशर्ते कि इसका अनुमादन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया गया हो।

13. गोपनीयता / गोपनीयता

व्हि सिलब्लोअर , विषय , अन्वेषक और हर कोई जो इस प्रक्रिया में शामिल है वे :

- a. विषय कर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे
- b. किसी भी अनौपचारिक / सामाजिक समारोहों / बैठकों में इस मामले पर चर्चा नहीं होगी।
- c. प्रक्रिया और जांच को पूरा करने के लिए एक सीमा तक केवल आवश्यक व्यक्तियों के साथ चर्चा की जाएगी।
- d. कागजात किसी भी समय कहीं भी पहुंच से बाहर नहीं रखे
- e. इलेक्ट्रॉनिक मेल / फाइलों को पासवर्ड के तहत रखे।

यदि कोई उर्पयुक्तक का पालन ना करते हुए पाया जाता है तो करने में यदि कोई भी एक के ऊपर के साथ पालन नहीं पाया जाता है, तो वह उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेरदार होगा
